न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 113/2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2016/00093

प्रार्थीगण

1.वीरमाराम पुत्र बांकाराम

2.गंगाराम पुत्र बांकाराम

3.जालूराम उर्फ जालाराम पुत्र बांकाराम

4.कोहलराम पुत्र बांकाराम

5.हरीराम पुत्र मुकनाराम जाति सुथार निवासी सोखड़ो की ढाणी,रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.अचलाराम पुत्र मोड़ाराम के वारिसान

1/1.देवाराम पुत्र अचलाराम

1/2.भोपाराम पुत्र अचलाराम

1/3.रूकी बेवा अचलाराम

2.दुर्गाराम पुत्र केहराराम

3.माघाराम पुत्र केहराराम जाति सुथार

4.गोकलराम पुत्र केहराराम

5.रामाराम पुत्र केहराराम

6.मोतीराम पुत्र केहराराम

7.चूनाराम पुत्र केहराराम

8.हुकमाराम पुत्र केहराराम

9.भैराराम पुत्र भूराराम

10.रूपाराम पुत्र घनाराम

11.सालूराम पुत्र लिसमणराम

12.भोमाराम पुत्र धनाराम

13.चुतराराम पुत्र धनाराम

14.रूपाराम पुत्र धनाराम जाति नाई

15.गोकलराम पुत्र कोजाराम

16.पेमाराम पुत्र डूंगराराम

17.दोलाराम पुत्र डुंगरराम

18.भोमाराम पुत्र करनाराम

19.भैराराम पुत्र करनाराम

20.चुतराराम पुत्र केहराराम

21.चेनाराम पुत्र जबाराराम

22.खेताराम पुत्र केहराराम के वारिसान

22/1.मूलाराम पुत्र खेताराम

22/2.पुनमाराम पुत्र खेताराम

22/3.रूपाराम पुत्र खेताराम

22/4.पांची बेवा खेताराम

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

23.मुकनाराम पुत्र केहराराम के वारिसान

23/1.दुर्गाराम पुत्र मुकनाराम

23/2.जेठाराम पुत्र मुकनाराम

23/3.खरथाराम पुत्र मुकनाराम

23/4.खीयाराम पुत्र मुकनाराम

23/5.पुरखाराम पुत्र मुकनाराम

23/6.गज्जू बेवा मुकनाराम

24.गुलाराम पुत्र केहराराम

25.रामाराम पुत्र चुतराराम

26.गंगाराम पुत्र केहराराम

27.मांगाराम पुत्र केहराराम

28.राणाराम पुत्र कानाराम

29.टीकूराम पुत्र खेराराम

30.खरथाराम पुत्र मुकनाराम

31.हुकमाराम पुत्र मुकनाराम

32.ताजाराम पुत्र मुकनाराम

33.मोतीराम पुत्र देवाराम

34.पुरखाराम पुत्र देवाराम

35.तोगाराम पुत्र भीखाराम

36.शेराराम पुत्र देवाराम

37.रूपाराम पुत्र आदूराम

38.ताजाराम पुत्र गुलाराम

39.जगाराम पुत्र गुलाराम

40.गंगा बेवा गुलाराम

41 किसनाराम पुत्र मूलाराम

42.मगनाराम पुत्र लिखमाराम

43.नेनाराम पुत्र लिखमाराम

44.ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम

45.जसराज पुत्र लिखमाराम

46.मांगी पत्नि अचलाराम

47.मोहरो पत्नि देवाराम

48.पूरो पत्नि वालाराम

49.चकू पत्नि पेमाराम

50.देवी पत्नि दोलाराम

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

51.अचलाराम पुत्र लालाराम

52.देवाराम पुत्र लालाराम

53.पूरो पत्नि वालाराम

54.तारो पुत्री वालाराम

55.भंवरलाल पुत्र कुम्भाराम

56.चूनाराम पुत्र कुम्भाराम

57.चुतराराम पुत्र कुम्भाराम

58.चौखराम पुत्र कुम्भाराम

59.मिरगो बेवा केहराराम

60.आईदानराम पुत्र मुकनाराम

61.पेमाराम पुत्र मुकनाराम

62.उदीदेवी पत्नि मुकनाराम

63.चौथाराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी सोखड़ो की ढाणी,रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री लाघूराम चौघरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3

3.विप्रार्थी संख्या 2 से 62 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 08.4.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सोखड़ो की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 19,21,71,82,83,230/85 कुल रकबा 249.17 बीघा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक क़ब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सोखड़ो की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 19,21,71,82,83,230/85 कुल रकबा 249.17 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री लाभूराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी संख्या 2 से 62 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सोखड़ो की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 19,21,71,82,83,230/85 कुल रकबा 249.17 बीघा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाते हुए नेखमबंदी करवाने का आवेदन वर्ष 2016 से लंबित चला रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की कई बार सीमाज्ञान होने के उपरांत आदिनांक नेखम कायम नहीं किए गए है। विप्रार्थी पक्ष हर बार सीमाज्ञान रिपोर्ट पर आपित करता है और विप्रार्थी का केवलमात्र एक ही उदद्वेश्य है कि येन–केन प्रकार से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी नही होने देनी है,जबकि प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिर्केडड खातेदार है,जिसका हक है कि वे अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं की सुरक्षा करने हेतु नेखम कायम करावें। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सोखड़ो की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 19,21,71,82,83,230/85 कुल रकबा 249.17 बीघा भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही सीमाओं को लेकर वाद–विवाद किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया है। विप्रार्थी को विवादित आराजी की सीमाज्ञान कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही एकपक्षीय तैयार की गई है,जो कि तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट में भी आयां है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया गया है। अंत प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सोखडो की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 19,21,71,82,83,230/85 कुल रकबा 249.17 बीघा भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का आवेदन पत्र वर्ष 2016 में पेश किया गया था,जो दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया था तथा बाद सुनवाई प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 10.6.2016 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी किए जाने के आदेश पारित हुए थे। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विप्रार्थी रूपाराम वगैरा द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में प्रथम अपील पेश की गई,जो मुकदमा संख्या 55/2022 अनवान रूपाराम बनाम वीरमाराम वगैरा पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 13.11.2020 के द्वारा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 10.6.2016 को निरस्त कर प्रकरण पुनः इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादित आराजी के सेढा पड़ौसी,जो आवेदन पत्र में पक्षकार है कि उपस्थिति में पहले सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करे तथा तत्पश्चात विधिवत पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नेखमबंदी के संबध में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए तथा प्रकरण में बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उजर उठाया कि विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 15.11.2022 को सम्पन्न हो चुकी है,जो नेखमबंदी करने के आदेश पारित किए जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उजर उठाया गया कि सीमाज्ञान कार्यवाही विप्रार्थी को सूचित किए बिना एकपक्षीय की गई है। उक्त बिन्दू के निस्तारण के लिए तहसीलदार पाटोदी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया,उन द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 15.11.2022 सम्पन्न पत्रावली का निरीक्षण किया गया,जिसमें सीमाज्ञान करने से पूर्व विप्रार्थी पक्षकार को मौका निरीक्षण करने की सूचना सीमाज्ञान नोटिस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी की सीमाज्ञान कार्यवाही विप्रार्थी को सूचित किए बिना की गई है,जो कि माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी की पहले सीमाज्ञान कार्यवाही करवाई जानी आवश्यक है।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सोखड़ो की बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 19,21,71,82,83,230/85 कुल रकबा 249.17 बीघा भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। पैमाईश करने की एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर उभय पक्षकारान को जरिए नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। नोटिस की तामीली प्रति मौका फर्द के संलग्न भिजवाई जानी सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
08/04/25

आदेश आज दिनांक 08.4.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
08/04/25